को पेश हो। B.P

03-01.23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकार्ड नारुक करने के कुम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी मांगीलाल पिता मोती लाल ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 719 को प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए श्री देवीलाल पिता शंकर लाल भील निवासी सांगरिया को तहसील बड़ीसादड़ी को विक्रय कर दी गई है जिस कारण से प्रार्थी द्वारा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का डी एल सी दर की दुगुनी राशि का रुपये 27340 रुपये सत्ताईस हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र GA 55 रसीद संख्या 42 दिनांक 07.5.2022 से तहसील कार्यालय में जमा है को वर्तमान खातेदार श्री देवीलाल पिता शंकर लाल भील निवासी सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी को अदा कर रास्ते का आदेश पारित किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.12.2021 एवं पत्रावली का व राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर अध्ययन किया गया। बाद जांच अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 718 पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध होने से विपक्षी की खातेदारी आराजी में रास्ता दिया जाना न्यायोचित होकर उचित है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। Sd/-

उपखण्ड [illegible] अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.02.13 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.02.13 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner